न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–187/10

1. छोटू पुत्र धन्ना (मृतक)
   1/1. श्रीमती सरजूदेवी पत्नी स्व. श्री छोटू,
   1/2. गजानन्द पुत्र स्व. श्री छोटू, जाति ब्राहाम्ण, निवासी ग्राम गंवार ब्राहाम्णान, तहसील सांगानेर हालवासी 58, सीताराम कॉलोनी, टोंक रोड़, सांगानेर जयपुर, जिला जयपुर।
   1/3. श्रीमती मुन्नी देवी पुत्री स्व. श्री छोटू धर्मपत्नी श्री राधेश्याम, जाति ब्राहाम्ण, निवासी गंवार ब्राहाम्णान, तहसील सांगानेर, जयपुर हालवासी 159, टाटानगर, शास्त्रीनगर, जयपुर।

——अपीलान्ट्स

बनाम

1 राधामोहन पुत्र मूल्या, जाति ब्राहाम्ण, निवासी ग्राम गंवार ब्राहाम्णान तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

2. मूल्या पुत्र धन्ना जाति ब्राहाम्ण निवासी ग्राम गंवार ब्राहाम्णान तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

—— रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 13.08.2018

अपीलार्थी द्वारा यह न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के आदेश दिनांक 07.07.1997 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि खाता संख्या 99 के अन्तर्गत आराजी खसरा नम्बर 92 रकबा 0.1000 हैक्टयर चाही 2 एवं खसरा नम्बर 115 रकबा 0.1400 हैक्टयर बारानी 2 कुल किता 2 कुल रकबा 0.2400 हैक्टयर के कब्जे काश्तकार हनुमान, मूल्या व छोटू पिसरान धन्ना जाति ब्राहाम्ण बहिस्सा बराबर–बराबर एवं खाता नम्बर 100 के अन्तर्गत आराजी खसरा नम्बर 701 रकबा 0.0800 हैक्टयर बारानी एवं व खसरा नम्बर 702 रकबा 0.0900 हैक्टयर बारानी एक कुल किता 2 कुल रकबा 0.1700 हैक्टयर हनुमान, मूल्या, छोटू पिसरान धन्ना हिस्सा 1/2 हिस्सा बराबर–बराबर गोपाल, श्रीराम, बौदूराम, रामजीलाल, ओमप्रकाश, शंकरलाल पिसरान रामेश्वरलाल हिस्सा 1/4, सीताराम पुत्र नारायण हिस्सा 1/4 जाति ब्राहाम्ण साकिन देह के नाम से है, हनुमान पुत्र धन्ना ब्राहाम्ण के ना औलाद फौत होने पर ग्राम पंचायत दादिया द्वारा हनुमान के फौतगी का नामान्तरकरण संख्या संख्या 18 मृतक हनुमान के सगे दोनों भाईयों (मूल्या व छोटू) के नाम नामान्तरकरण दिनांक 14.12.1995 को स्वीकार करते हुए तस्दीक किया गया है जो विधि के अनकूल ही है लेकिन रेसपोडेन्ट संख्या 1

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि नामान्तरकरण संख्या 18 ग्राम गंवार ब्राहाम्णान दिनांक 14.12.95 के विरूद्ध राधामोहन पुत्र मूल्या (तथाकथित दत्तक पुत्र हनुमान) ने छोटू पुत्र धन्ना, मूल्या उप नाम मूलचन्द के विरूद्ध दिनांक 26.02.1996 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के समक्ष अपील संख्या 1/1996 प्रस्तुत की जिस पर उपखण्ड अधिकारी द्वितीय जयपुर ने एकपक्षीय अपीलार्थी राधामोहन की अपील पर सुनवाई का विधि विरूद्ध निर्णय दिनांक 07.07.1997 पारित किया है जो निरस्तनीय है। उन्होने कथन किया है कि धन्ना के तीन जायन्दा पुत्र हुऐ जिनमें से हनुमान ना औलाद फौत हो गया इस प्रकार हनुमान की चल व अचल सम्पत्ति के एकमात्र मालिक व स्वामी अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ही है, इस बात की पुष्टि हल्का पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 17.10.1995 जो कि नामान्तरकरण संख्या 18 के कॉलम संख्या 16 में अंकित है एवं नामान्तरकरण पर दर्शायी गई वंशावली से पुष्टि होती है तथा ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 14.12.95 को नामान्तरकरण भी अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के हक में तस्दीक किया गया है, इससे साफ जाहिर है कि मृतक हनुमान पुत्र धन्ना के जायज वारिस व उत्तराधिकारी है उसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने इन तथ्यों की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई भी ऐसा दस्तावेजात पत्रावली पर उपलब्ध नही है जिससे सिद्ध होता हो कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 राधामोहन मृतक हनुमान का जायज वारिस व उत्तराधिकारी या दत्तक पुत्र हो केवल मात्र कयास के आधार पर एकपक्षीय निर्णय सादिर किया है, इस कारण से अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। उन्होने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय अपने अपीलाधीन आदेश में ग्राम पंचायत द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.12.1995 को क्षेत्राधिकार बाहर है अर्थात ऐसे नामान्तरकरण को तस्दीक करने का ग्राम पंचायम को क्षेत्राधिकार प्राप्त नही होना मानते है और दूसरी तरफ प्रकरण को पुनः निर्णय हेतु ग्राम पंचायत को क्षेत्राधिकार प्राप्त नही होते हुए भी पुनः निर्णय हेतु ग्राम पंचायत दादिया को ही रिमाण्ड किया गया है जिससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के दोनों कथनों में परस्पर विरोधाभाषी होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि विवादित प्रकरणों के निस्तारण के क्षेत्राधिकार ग्राम पंचायत प्राप्त नही है उसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम पंचायत को प्रकरण रिमाण्ड किया गया है, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि ग्राम पंचायत दादिया द्वारा

दोनों पिता–पुत्र है, अपीलार्थी जो एक गरीब व अकेला व्यक्ति है जो कि निर्बल है, इसके हक की सम्पत्ति को हड़पने की नियत से चुपचाप अपीलाधीन आदेश पारित करा लिया है जो न्याय व कानून के सिद्धान्तों के विपरित हाने के कारण एकपक्षीय निर्णय निरस्तनीय है। अतः अपील मय प्रार्थना पत्र दफा मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वितीय जयपुर द्वारा अपील संख्या 1/1996 पर पारित एकपक्षीय निर्णय दिनांक 07.07.1997 को निरस्त करते हुए ग्राम पंचायत दादिया पंचायत समिति सांगानेर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 18 पर पारित निर्णय दिनांक 14. 12.195 को यथावत रखे जाने के आदेश प्रदान करे जिससे अपीलार्थी को उचित न्याय व राहत मिल सके एवं अपीलार्थी अपने हक व अधिकारों से वंचित न रह सके।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार हनुमान के उतराधिकारियों के बारे में ग्राम पंचायत द्वारा बिना विधिवत कोई जांच किये ही नामान्तरकरण संख्या 18 दिनांक 14.12.1995 स्वीकार किया गया है, जो विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय ही था। उन्होने कथन किया है कि विवादित नामान्तरकरण ग्राम पचायत में कोरम के समक्ष प्रस्तुत नही हुआ है और अकेले सरपंच ने बिना किसी जॉच के एवं भू राजस्व अधिनियम के तहत बने भू अभिलेख नियमों के नियम 121 की कतई कोई पालना नही कर नामान्तरकरण तस्दीक किया था जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय था। उन्होने आगे कथन किया है कि नामान्तरकरण तस्दीक करने का क्षेत्राधिकार सम्बन्धित ग्राम पंचायत को केवल 45 दिनों तक ही है, 45 दिनों तक ग्राम पंचायत द्वारा निर्णय ना लिये जाने की अवस्था में उक्त नामान्तरकरण के सम्बन्ध मे क्षेत्राधिकार तहसीलदार में निहित हो जाता है, ग्राम पंचायत द्वारा उक्त नामान्तरकरण पटवारी द्वारा दिनांक 17.10.1995 को भरे जाने के बाद ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 14.12.1995 को तस्दीक किया गया है, जो स्पष्टतया उनके अधिकार क्षेत्र में नही था, ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत ने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर नामान्तरकरण तस्दीक किया था, जो निरस्तनीय था।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपने दत्तक पिता की मृत्यु के बाद उनकी सम्पत्ति का नामान्तरकरण खोलने बाबत प्रार्थना पत्र पटवारी हल्का को प्रस्तुत किया था परन्तु उस पर कोई कार्यवाही नही की गई और ना ही नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 नाम भरा, बल्कि गुप्त रूप से अपीलान्ट्स और रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम मिली भगत कर तस्दीक कर दिया गया जिसकी जानकारी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को होने पर उन्होने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विधिवत रूप से अपील प्रस्तुत

ग्राम पंचायत दादिया द्वारा आदेश भी पारित किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रवली का एवं अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत नजीरों का अवलोकन किया गया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुऐ विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुए अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। वादग्रस्त आराजी के खातेदार हनुमान दर्ज रिकार्ड थे जिनके ना औलाद फौत होने पर उसके सगे भाईयों अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम नामान्तरकरण ग्राम पचायत दादिया द्वारा दिनांक 14.12.1995 को स्वीकार किया गया है जिसके विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा मृतक खातेदार का दत्तक पुत्र होने का कथन कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अपीलाधीन निर्णय से विवादित नामान्तरकरण संख्या 18 को निरस्त कर ग्राम पंचायत दादिया को पक्षकारान को सुनकर पुनः निर्णय हेतु रिमाण्ड किया गया है जबकि भू राजस्व अधिनियम में नामान्तरकरण से सम्बन्धित विवादित प्रकरणों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार ग्राम पंचायत को प्रदत्त ही नही है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश को कानूनी दृष्टि से उचित नही ठहराया जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर द्वितीय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.07.1997 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार सांगानेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तोवजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(टी0रविकान्त)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 13.08.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त